प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

36 घंटे में हत्या का सफल अनावरण एवम् घटना में संलिप्त दोनो अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 12.10.2020

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा दिनांक 10.10.2020 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई शत्रुघ्न जायसवाल उम्र 70 वर्ष करीब की हत्या की घटना के शीघ्रातिशीघ्र अनावरण हेतु 04 टीमों का गठन किया गया था। उक्त क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ0 राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में गठित टीमों द्वारा 36 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गयी है।

- **घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 10.10.20 को शत्रुघ्न जायसवाल पुत्र छेदुराम नि0 सादिकपुर थाना कोतवाली उम्र करीब 70 वर्ष अपने गांव के खेत में मृत अवस्था में पाये गये जिनके गले पर धारदार हथियार के चोट के निशान थे। परिजनो द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर दिनांक 10.10.2020 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 599/20 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।
- **अनावरण का संक्षिप्त विवरण**-घटना में संलिप्त अभियुक्त 1. राकेश जायसवाल पुत्र शिवदयाल 2. कमलेश कुमार पुत्र श्री कल्लू राम नि0 शादीपुर उमरी थाना कोतवाली सीतापुर से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक के परिवार के पास खेतीबाड़ी हेतु कोई जमीन व आमदनी का कोई स्रोत नही था। दैनिक उपयोग की वस्तुओं हेतु मृतक की बहू का संपर्क किराने की दुकान चलाने वाले कमलेश ने मकान मालिक राकेश से करा दिया। कमलेश से मृतक की बहू का पिछले दो-तीन वर्ष से अवैध संबंध चल रहा था। किराने की दुकान पर समान लेते देते समय राकेश भी उसकी बहू के संपर्क में आ गया। घटना से करीब पंद्रह दिन पहले राकेश महिला से मिलने रात में उसके घर आया था। जिससे मृतक व उसके परिजनो का संपर्क हुआ एवम् मृतक ने यह चेतावनी भी दी कि मै यह कुकृत्य गांव के समक्ष उजागर कर दूंगा। घटना के करीब 5 दिन पहले राकेश महिला से मिलने खेत पर गया हुआ था,तभी महिला का ससुर मृतक शत्रुघ्न जायसवाल उपरोक्त वहां पहुंच गये व दोनो को एक साथ देख लिया। शत्रुघ्न ने मौके पर बहू को डांटा फटकारा तत्पश्चात् राकेश के घऱ पर जाकर बताया और कहा कि यह बात मैं गांव वालों को बता दूंगा। इसी बात से राकेश अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु चिंतित हो गया और कमलेश के साथ मिलकर शत्रुघ्न को मारने की योजना बनायी औऱ दिनांक 10.10.20 को जब शत्रुघ्न खेत पर घास काटने गया हुआ था तो मौका पाकर दोनो ने हंसिए से वार करके शत्रुघ्न की हत्या कर दी।

घटना में संलिप्त दोनो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों का रक्तरंजित कपड़ा भी बरामद किया गया है। समस्त विधिक कार्यवाही अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में संपादित करायी जा रही है।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

1. राकेश जायसवाल पुत्र शिवदयाल नि0 शादीपुर उमरी थाना कोतवाली सीतापुर
2. कमलेश कुमार पुत्र श्री कल्लू राम नि0 शादीपुर उमरी थाना कोतवाली सीतापुर

- **पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 599/20 धारा 302/34 भादवि थाना कोतवाली नगर, सीतापुर।
- **अनावरण एवम् गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना कोतवाली नगर -**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री तेजप्रकाश सिंह
2. उ0नि0 श्री रमेश चंद त्रिपाठी
3. का0 सचिन कुमार
4. का0 शिवकुमार